न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
114/दावा/2016	10.08.2016	22.01.2025

1. रामदेव आ0 नाथ्या उर्फ नाथूलाल कौम चमार बैरवा निवासी चाढगांव तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज.

.....वादी

//बनाम//

1. बाबूलाल आ0 बजरंगलाल कौम मेघवाल
2. राजेन्द्र
3. धर्मराज
4. शंकर
5. आत्माराम पि0 बाबूलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम चाढगांव तह0 के0पाटन जिला बून्दी

.....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते – वास्ते कब्जा प्राप्ति व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 183, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादी की ओर से श्री केशव कुमार दाधीच
2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री उमाशंकर नागर

वादी निम्न आधारो पर वाद पत्र प्रस्तुत करता हैं :–

1. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.52 हैं0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.10 हैं0, खसरा संख्या 767/664 रकबा 0.29 हैं0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम व माल चाढगांव तहसील के० पाटन विस्थित हैं, जिसका वादी तन्हा खातेदार दर्ज जमाबन्दी हैं।
2. यह कि वादी ने अपने खातेदारी की भूमि ख0सं0 61 रकबा 0.52 हैं0 वाके ग्राम चाढगांव को प्रतिवादी सं0 1 को ज्वारे काश्त करने हेतु करीब 7–8 साल पहले दी थी, जिसकी ज्वारा राशि प्रतिवादी क्रम 1 हमेशा वादी को समय–समय पर अदा करता रहा हैं तथापि वादी व प्रतिवादी कम 1 का मकान भी गांव में बिल्कुल समीप हैं इस कारण वादी व प्रतिवादीगण के मधुर सम्बन्ध रहे और इस कारण ज्वारे की लिखा पढ़ी कभी नहीं हुई । इस प्रकार साल दर साल प्रतिवादी के पास वादी की उक्त भूमि मुनाफे काश्त पर रही हैं।
3. यह कि सन् 2016 में जून माह में वादी के पुत्र दुर्गाशंकर ने वादी से कहा कि इस बार उक्त जमीन को दुर्गाशंकर ही स्वयं करेगा इस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से सन् 2016–2017 के लिये मुनाफे पर उक्त भूमि के लिये मना कर दिया तो प्रतिवादी कम 1

Scanned with OKEN Scanner

ने आनाकानी की तथा इसी बात को लेकर प्रतिवादीगण वादी से रंजिश रखने लगे हैं और जमीन पर जाने पर वादी व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हैं और जमीन पर वादी को कब्जा नहीं देना चाहते हैं ताकत व गुण्डागर्दी के बल पर वादी के खाते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं।

4. यह कि इसी रंजिश के चलते प्रतिवादीगण ने दिनांक 02/07/2016 को वादी के लड़के दुर्गाशंकर को रास्ते में रोककर धारदार हथियारों से जान से मारने के उद्देश्य से प्राणातक हमला कर दिया जिसमें दुर्गाशंकर के सिर में गम्भीर चोट आई और बाल–बाल बचा अर्थात प्रतिवादीगण ताकत व गुण्डागर्दी के बल पर वादी की खातेदारी की भूमि ख0सं0 61 रकबा 0.52 हैं0 पर कब्जा बनाये रखना चाहते हैं और वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर देना चाहते हैं तथा वादी की भूमि को खूर्द बूर्द कर देना चाहते हैं। इस कारण प्रोपर्टी व पजेशन दोनो इनमिडिया हो गये हैं।
5. यह कि वादी के लिये आवश्यक हो गया हैं कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर कर अपने खातेदारी की भूमि ख० सं0 61 रकबा 0.52 हैं0 वाके ग्राम चाढगांव पर से प्रतिवादीगण को बैदखल करावे और कब्जा प्राप्त करे तथा बाद कब्जा प्राप्त करने प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि भविष्य में वादी की खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त में दखल न करें, न ही किसी प्रकार से बाधा पहुंचावे।
6. यह कि दिनांक 10/07/2016 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से अंतिम बार कब्जा वादी को सम्भलाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया वरन वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। यही वादी कारण है जो निरन्तर कायम हैं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे– कि वाद पत्र की चरण कम 2 में वर्णित वादी के तन्हा खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.52 हैं0 वाके ग्राम चाढगांव तह0 के0पाटन पर से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जावे एवं कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। वादी को कब्जा सम्भलाने के बाद प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के खातेदारी की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखल प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे, न ही अन्य से करावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें वाद पत्र की चरण संख्या 1 राजस्व रिकार्ड से संबंधित है जो जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं अस्वीकार है। चरण संख्या 2 वर्णित तथ्य काल्पिनिक व मनगढन्त होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। चरण संख्या 3 जिस प्रकार से लिखी गई है वह स्वीकार नहीं अस्वीकार है। चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य काल्पिनिक व मनगढन्त होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है। चरण संख्या 6 वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है प्रतिवादीगणों के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

विशेष कथन :– यह कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रतिवादीगणों को नाजायज रूप से परेशान करने की गरज से पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 52/0.39 है0, 53/0.27 है0, 61/0.52 है0,119/0.88 है0, 524/0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम चाढगांव में स्थित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान कर दी थी जिसकी लिखा पढी जानकीलाल पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान के समक्ष की गई थीं और बवक्त बैचान की समस्त राशि प्राप्त कर कब्जा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को सौप दिया था तब से ही प्रतिवादीगण लगातार कृषि भूमि करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिये वादी से कई बार निवेदन किया लेकिन वादी बारम्बार टालम टोल करता रहा लेकिन रिश्तेदारों एवं परिवारजनों के समझाने बुझाने पर वादी द्वारा खसरा संख्या 52 रकबा 0.39 है0, खसरा संख्या 53 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 कृषि भूमि की रजिस्ट्री तो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा दी लेकिन शेष खसरा नम्बरान की रजिस्ट्री नहीं करवाई। वादी के मन में बदनियति आ जाने की वजह से वादी द्वारा बैचान की गई कृषि भूमि को अपने खाते अंकित होने से वापिस प्रतिवादीगणों से छीनना चाहता है जिसका कि वादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि वादी को साफ मन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त शेष भूमि की रजिस्ट्री करवानी चाहिये। वादी द्वारा अपने द्वारा बैचान की गई भूमि अपने खाते अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त दावा मनगढन्त व काल्पनिक व झुँठे तथ्यों पर पेश किया है जो प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है।

वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

(i) आया वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम चाढगांव को वादी प्रतिवादी को ज्वारे पर देता रहा है किन्तु सन् 2016 जून माह में वादी के पुत्र दुर्गाशंकर स्वयं द्वारा काश्त करने की कहने पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया और कब्जा छोडने की मना कर दी।

.....वादी

(ii) आया वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण से वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकारी है।

.....वादी

(iii) आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 61 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बैचान करके समस्त रकम वादी ने प्राप्त कर ली है और वादी रजिस्ट्री करवाने की मना करता रहा है।

.....प्रतिवादीगण

(vi) अनुतोष?

वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में स्वयं का PW–1 के रूप मे न्यायालय के समक्ष स्वयं को परिक्षित करवाया, PW–2 दुर्गाशंकर, PW–3 रामलाल, DW–1 बाबूलाल, DW–2 चौथमल का शपथ पत्र एवं EX–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या नया 163 पुराना 151 ग्राम चाढगांव, EX–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154(1) CrPC दंड प्रकिया

Scanned with OKEN Scanner

संहिता के तहत) थाना काप्रेन पेश की है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 ग्राम चाढगांव एवं दिनांक 11.06.02 बैचान नामा तहरीर पेश की है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है वादी वाद वर्णित कृषि भूमि मे खातेदार है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। वादी वकील ने दौराने बहस दस्तावेज साक्ष्य EX–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या नया 163 पुराना 151 ग्राम चाढगांव की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है। वादी के द्वारा वाद वर्णित भूमि स्वयं के खातेदारी मे है इस बाबत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श EX–1 से प्रमाणित किया कि वाद वर्णित भूमि का वादी खातेदार है तथा स्वयं के वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं को एवं गवाह PW–2 व 3 को परीक्षित करवाया। दौराने बयान वादी एवं वादी के गवाह का प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की जमीन पर बतौर अतिक्रमी चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान किया जाना प्रमाणित हो। स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी जिरह में वादग्रस्त भूमि को खरीदना अथवा अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवाने के कथन से इंकार करता है। ऐसी स्थिति में वादी के दावे को बल मिलता है। प्रतिवादी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में होने से वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाना उचित प्रतित होता है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को संभलाया जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दखल ना करें।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 61 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम चाढगांव से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखल न तो स्वयं करे, न ही ऐसा अन्य किसी से करावें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

दीपक सिंह खटाना
आर.ए.एस.
114 / 2016

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन
वाद पत्र संख्या

1. रामदेव आ0 नाथ्या उर्फ नाथूलाल कौम चमार बैरवा निवासी चाढगांव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.

.....वादी

//बनाम//

1. बाबूलाल आ0 बजरंगलाल कौम मेघवाल
2. राजेन्द्र
3. धर्मराज
4. शंकर
5. आत्माराम पि0 बाबूलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम चाढगांव तह0 के0पाटन जिला बून्दी

.....प्रतिवादीगण

वाद– स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 183, 188 आर0टी0एक्ट

वादी की ओर से श्री केशव कुमार दाधीच व प्रतिवादीगण की ओर से श्री उमाशंकर नागर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2025 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि :–

"वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 61 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम चाढगांव से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखल न तो स्वयं करे, न ही ऐसा अन्य किसी से करावें। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.01.2025 को जारी की गई।

मोहर

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner